



जनसंख्या नियंत्रण का कानून

ध्यान रहे किसी देश या समाज में जनसंख्या को स्थिर रखने वाली दर यानी रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1 मानी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अपने देश में औसत टीएफआर जरूरी बिंदु से भी नीचे आ चुका है। हालांकि यह सही है कि ऐसा पूरे देश में नहीं हुआ है।

मीना जोशी।

यह सूचना सचमुच राहत देने वाली है कि केंद्र सरकार देश में जनसंख्या नियंत्रण का कोई कानून नहीं लाने जा रही। मौजूदा हालात में इसकी जरूरत नहीं है। यही बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने अप्रैल में संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल पर बहस के दौरान कही थी। इस लिहाज से सरकार के रुख को लेकर किसी तरह का भ्रम होना नहीं चाहिए था, लेकिन इसी बीच सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक केंद्रीय मंत्री के इसके बिल्कुल उलट आशय वाले बयान आ गए। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक जहां पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पत्रकारों से सवाल के जवाब में कहा कि कानून बनाने की प्रक्रिया में वक्त लगता है

और इस बारे में विचार-विमर्श जारी है, वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने साफ-साफ कहा कि देश में जल्दी ही जनसंख्या नियंत्रण का कानून आने वाला है। इसके बाद स्वाभाविक रूप से चर्चा शुरू हो गई कि संभवतः इस बारे में सरकार के पुराने रुख में बदलाव आया है। यह चर्चा चिंता बढ़ाने वाली इसलिए थी क्योंकि जनसंख्या के मोर्चे पर ताजा रुझान काफी पॉजिटिव हैं। देश में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी प्रति महिला औसत प्रसूति दर 2015-16 के 2.2 से घटकर 2019-20 में 2 पर आ चुकी है। ध्यान रहे किसी देश या समाज में जनसंख्या को स्थिर रखने वाली दर यानी रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट 2.1 मानी जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि अपने देश

में औसत टीएफआर जरूरी बिंदु से भी नीचे आ चुका है। हालांकि यह सही है कि ऐसा पूरे देश में नहीं हुआ है। बिहार (2.98), मेघालय (2.91), उत्तर प्रदेश (2.35), झारखंड (2.26) और मणिपुर (2.17) जैसे राज्यों में यह अभी भी रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी लेवल से ऊपर बना हुआ है। लेकिन सभी राज्यों में ट्रेड उतार का ही है। बिहार में यह चार के आसपास हुआ करता था, जो अब तीन के नीचे आ चुका है। ऐसे ही सभी समुदायों में भी टीएफआर में कमी देखी जा रही है। यह स्थिति कानून के दबाव से नहीं, आर्थिक विकास, शिक्षा और जागरूकता के प्रसार से हासिल की गई है। ऐसे में अब जब जनसंख्या वृद्धि अपने

आप काबू में आती दिख रही है, इसके लिए दंडात्मक प्रावधानों वाले कानून लाना कहां से मुनासिब है। वह भी ऐसे वक्त में, जब देश के हाथ से डेमोग्राफिक डिविडेंड के निकलने का डर पैदा हो गया है। 2021 में भारत की करीब 64 फीसदी आबादी कामकाज के लायक थी। अगले 10 साल में यह बढ़कर लगभग 65 प्रतिशत हो जाएगी। फिर इसमें गिरावट आने लगेगी। भारत में औसत उम्र 28 साल के करीब है। यह 2026 तक 30 और 2036 तक 35 साल हो जाएगी। इसलिए अभी तो युवा आबादी के अधिक इस्तेमाल पर ध्यान दिया जाए ताकि आर्थिक विकास की रफतार तेज की जा सके। अगर यह काम अच्छी तरह से हुआ तो कुछ दशकों में भारत सुपरपावर का दर्जा हासिल कर सकता है।

बारिश

अशोक वोहरा। कई घंटे बीते लेकिन बारिश नहीं हुई पर महात्मा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे-धीरे शाम होने लगी तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और बारिश होने लगी। लड़के हैरान रह गए। महात्मा ने बताया कि वह नाचते वक्त हमेशा दो बातों का ध्यान रखते हैं। पहली यह कि अगर वह नाचेंगे तो बारिश को आना पड़ेगा और दूसरी बात यह कि वह तब तक नाचेंगे, जब तक बारिश नहीं होगी। एक बार एक राजा ने अपने तीनों पुत्रों को बुलाया और बोला कि हमारे राज्य में नाशपाती का कोई पेड़ नहीं है। मैं चाहता हूँ की तुम सब चार-चार महीने के अंतराल पर इस पेड़ की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वह कैसा होता है। तीनों पुत्र बारी-बारी से गए और लौट आए।

धर्म-दर्शन



संपादकीय

सेट हुए सोशल समीकरण

एनडीए ने द्रौपदी मुर्मु का नाम सामने कर सामाजिक समीकरण भी बेहतर और मजबूत करने की कोशिश की है। साल के अंत में गुजरात में विधानसभा चुनाव हैं, और वहां भी ट्राइबल आबादी लगभग डेढ़ दर्जन सीटों पर निर्णायक संख्या में है। बीजेपी का इन सीटों पर प्रदर्शन उतना प्रभावी नहीं रहा, लेकिन 2019 में ट्राइबल बहुल लगभग 50 सीटों में उसने आधे से अधिक पर जीत हासिल की। तब से पार्टी ने ट्राइबल के बीच नरेंद्र मोदी की अगुआई में पैठ बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। केंद्र सरकार ने इसी मंशा के तहत बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। इसके तहत सरकार 15 से 22 नवंबर तक जनजातीय समुदायों के गौरवशाली इतिहास, उपलब्धियों और संस्कृति पर कार्यक्रम भी आयोजित करने जा रही है। वैसे गुजरात से बाहर पूरे देश के संदर्भ में देखें तो नरेंद्र मोदी की अगुआई में बीजेपी ने दलितों, वंचितों, पिछड़ों के बीच जनाधार बढ़ाने का ध्यान दिया है। इसका पहला बड़ा असर 2014 आम चुनाव में दिखा, जब बीजेपी ने 131 सुरक्षित सीटों में 67 सीटों पर जीत हासिल कर ली। 2019 आम चुनाव में पार्टी ने प्रदर्शन को और सुधारते हुए 77 सुरक्षित सीटों पर कब्जा कर लिया। पांच साल पहले रामनाथ कोविंद के रूप में दलित को, और अब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का फैसला कर बीजेपी ने इस धारणा को मजबूती दी है कि समाज के हर तबके को सरकार में सम्मान मिलता है। यह धारणा आगे तमाम चुनावों में उसके काम आने वाली है।

आरसीपी सिंह अभी नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। फिर भी, इसमें दो राय नहीं कि द्रौपदी मुर्मु का नाम सामने लाकर बीजेपी ने सियासी गणित साध लिया है।

पार की पहली बाधा

नरेंद्र नाथ।

बीजेपी की अगुआई वाले एनडीए ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मु का नाम घोषित कर एक तीर से कई निशाने साधे हैं। यूपीए के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मंगलवार को जब यशवंत सिन्हा के नाम की घोषणा हुई, तो उसके कुछ घंटे बाद ही एनडीए की ओर से भी नाम का एलान हो गया। अब अगर कोई बड़ा सियासी फेरबदल न हुआ तो द्रौपदी मुर्मु का देश का नया राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। एनडीए के पास लगभग 48 फीसदी वोट हैं। महज एक या दो क्षेत्रीय दलों के अतिरिक्त सपोर्ट से वह बहुमत का आंकड़ा पार कर लेगा। राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 18 जुलाई को होना है। द्रौपदी मुर्मु के नाम के एलान के तुरंत बाद जिस तरह की प्रतिक्रिया आई, उससे फौरी तौर पर यही संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी ने जो तीर चलाया, वह निशाने पर भी लगा। विपक्ष अभी से पशोपेश में दिखने लगा है। उसके लिए द्रौपदी मुर्मु का विरोध करना आसान नहीं होगा। सियासत में प्रतीकों की जो लड़ाई होती है, उसमें एनडीए ने बढ़त ले ली है।

इस बार हालांकि संख्या बल के लिहाज से एनडीए मजबूत स्थिति में है, फिर भी उसे अपने वोटों के अलावा दूसरे क्षेत्रीय दलों के सपोर्ट की जरूरत है। राष्ट्रपति चुनाव में पश्चिम बंगाल की



सीएम ममता बनर्जी और तेलंगाना के सीएम केसीआर तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की मुहिम में लगे थे। वे ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक को भी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहे थे। उधर, बिहार के सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू के रुख को भी लेकर भी बीजेपी निश्चिंत नहीं थी। ऐसे में बीजेपी के सामने पहली चुनौती थी कि वह ऐसा समीकरण तैयार करे, जिसे विपक्ष तोड़ न पाए। द्रौपदी मुर्मु का नाम सामने लाकर एनडीए ने पहली सियासी बाधा पार कर ली है और अपनी जरूरतों के अनुरूप समीकरण भी तैयार कर लिया है। जैसे ही मुर्मु के नाम का एलान हुआ, बघाई का पहला संदेश ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का ही आया। उन्होंने टवीट कर उनकी दावेदारी पर खुशी जाहिर की और कहा कि पीएम मोदी ने उनसे इस बारे में बात भी की थी। चूंकि वह खुद ओडिशा की हैं, ऐसे

में अब नवीन पटनायक के समर्थन के बारे में कोई संदेह नहीं रहा। लेकिन बात सिर्फ नवीन पटनायक की नहीं है। दुविधा तो झारखंड के सीएम और जेएमएम पार्टी के प्रमुख हेमंत सोरेन के सामने भी होगी। जब उनके सामने देश की पहली ट्राइबल महिला राष्ट्रपति बतौर उम्मीदवार खड़ी हैं, तब उन्हें छोड़कर किसी और उम्मीदवार को वोट देना सोरेन के लिए आसान नहीं होगा। वह भी तब, जब सोरेन ट्राइबल राजनीति में बढ़त लेना चाहते हैं। हेमंत सोरेन सरना धर्म कोड के नाम पर राज्य में लगातार ट्राइबल दांव खेल रहे हैं। झारखंड में लगभग 28 फीसदी ट्राइबल हैं, जिसके बड़े हिस्से का समर्थन हेमंत सोरेन को मिला था। हालांकि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी झारखंड से ही हैं, लेकिन जेएमएम की दुविधा अब और बड़ी होगी।

गौर करने की बात है कि जब मुर्मु झारखंड की गर्वनर थीं, तब उनके हेमंत सोरेन से काफी अच्छे संबंध थे। इसके अलावा उनके महिला ट्राइबल नेता होने के कारण ममता बनर्जी या सोनिया गांधी जैसी नेताओं के लिए भी उनका विरोध करना सहज नहीं होगा। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में भी ऐसी ही दुविधा होगी, जहां बड़ी आबादी आदिवासियों की है। यहां से कई कांग्रेस विधायक चुने गए हैं, जिन्हें ट्राइबल समर्थन से जीत मिली। ऐसे में अब इनके सामने भी इसी तरह की असमंजस की स्थिति होगी।

सूटिकु नवताल-5382				* सं सं सं सं			
	2		3				
	9	8	2 6 4				
1		3 6	9				
4	3						
	8	2	1				
			8				6
4	7 5						3
3 7 5	4	1					
2			8				

अपना ब्लॉग

अलगाववादी तत्व आंदोलन को हवा दे रहे मोहन। केंद्र सरकार भले ही कितनी आश्वस्त थी कि कृषि कानून सही हैं। उसके पास इस बात के भी सबूत थे कि कुछ अलगाववादी तत्व इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं। हर कोई ये भी देख रहा था कि कैसे आंदोलन के नाम पर कुछ लोगों ने रास्ते रोककर शहरों को बंधक बना लिया था। लेकिन इस सबके बावजूद सरकार ने आखिरी वक्त तक उनसे बात करके ही रास्ता निकालने की कोशिश की, न कि गैर कानूनी तरीके से रास्ता रोकने को बहाना बनाकर उन पर लाठियां भांजनी शुरू कर दी। सरकारों के पास ताकत होती है। ये ताकत उन्हें जिम्मेदारी बनाती है। वो जनता के लिए चुनी गई होती हैं। इसलिए उसी जनता में से कुछ लोग हिंसक क्यों न हो जाएं, सरकार खुद माफिया बनकर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। उसी तरह कश्मीर में भारत विरोधी कितने भी आंदोलन क्यों न हो जाएं। इन आंदोलनों में आम आदमी की भागीदारी भी कितनी भी स्पष्ट क्यों न हो लेकिन हर भारत सरकार कश्मीरियों को साथ लेकर चलने की वकालत ही करती है न कि ऐसे आंदोलनों की दुहाई देकर जनता को गाली देने लगती है।

